कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

विश्वविद्यालय में मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में सूचना अधिकार से सम्बन्धित नियम

सूचना अधिकार के तहत छात्रों द्वारा मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका मांगे जाने के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30–08–2013 के अनुपालन में वर्ष 2013 से निम्नलिखित नियम लागू किये जाते हैं –

1. परीक्षार्थी मूल्यांकित की गयी उत्तर–पुस्तिका के लिए उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति अथवा निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय को परीक्षाफ़ल घोषित होने के 15 दिन के बाद केवल अपनी उत्तर–पुस्तिका के सम्बन्ध में आवेदन कर सकता है।

2. निष्प्रयोज्य सामग्री नियमों के अतिरिक्त सी0बी0एस0सी0, नई दिल्ली बनाम आदित्य बंधोपाध्याय (सन् 2011) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकप्राधिकारी को प्रदत्त की गयी शक्ति के अन्तर्गत परीक्षार्थी सूचना अधिकार के अन्तर्गत परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से दो माह के अन्दर उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। अंकतालिका में अंकित तिथि ही परीक्षाफल घोषित होने की तिथि मानी जायेगी।

3. उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में परीक्षक, सह–परीक्षक और परी–निरीक्षणकर्ता तथा इसी प्रकार के कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के नाम, पद, पता तथा किसी भी प्रकार की पहचान आवेदक कर्ता को नहीं दी जायेगी।

Rajnish Kaur

4. सूचना अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करने वाले परीक्षार्थी का सत्यापन इस आशय से विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वही परीक्षार्थी है जिसने आवेदन किया है अथवा नहीं, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र की छायाप्रति अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा अंकतालिका की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. यद्यपि उपरोक्तानुसार सूचना अधिकार में दी गयी उत्तर–पुस्तिका का पुनर्मल्यांकन नहीं किया जायेगा तथापि परीक्षक के द्वारा उत्तर–पुस्तिका के मूल्यांकन किये जाने में प्रथम दृष्टया गलती पाई जाने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में गलती को सुधार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा –

(क) यदि उत्तर–पुस्तिका के प्रश्नों में दिये गये उत्तर की गणना में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक किया जायेगा।

(ख) परीक्षार्थी का कोई प्रश्न मूल्यांकन किये जाने से छूट गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) (i) यदि परीक्षक के द्वारा, उत्तर–पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर कुल अंक अंकित किये हैं, लेकिन उत्तर–पुस्तिका के अन्दर प्रश्न के उत्तरों में पृथक–पृथक रूप से मूल्यांकन कर अंक नहीं दर्शाये गये हैं तथा न ही आवरण पृष्ठ पर पृथक–पृथक प्रश्नों में अंक दिये हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन किया जायेगा।

(ii) यदि परीक्षक द्वारा प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर–पुस्तिका के अन्दर अंक दिये हैं, लेकिन आवरण पृष्ठ पर उन अंकों का कुल योग दिया है तो मूल्यांकन नहीं होगा।

Rajnish Kaur

(iii) यदि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर दिये गये प्रत्येक प्रश्न पर परीक्षक ने अंक दिये हैं, लेकिन उन अंकों को उत्तर पुस्तिका में प्रश्नानुसार अन्दर नहीं दर्शाया गया है। अपितु सम्बन्धित प्रश्नों के अंकों को आवरण पृष्ठ पर ही परीक्षार्थी द्वारा उत्तर दिये गये प्रश्नों के क्रम में दर्शित किया है तो मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। परन्तु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि जिन प्रश्नों के सम्मुख आवरण पृष्ठ पर अंक अंकित हैं उनको विद्यार्थी द्वारा हल किया होना चाहिए, यदि विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर के क्रम के अनुसार आवरण पृष्ठ पर अंक अंकित नहीं हैं तो मूल्यांकन किया जायेगा।

(घ) यदि परीक्षार्थी यह आपत्ति करता है कि मूल्यांकित की गयी उत्तर–पुस्तिका में अन्य विषय–विशेषज्ञ अधिक नम्बर दे सकता था तथा इसी प्रकार का कोई अन्य कथन को आपत्ति का विषय बनाता है, तो इस प्रकार की आपत्ति को आधार बनाकर किसी भी प्रकार से उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसकी सार्थकता में यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकित की गयी उत्तर–पुस्तिकाओं की छायाप्रति उच्चतम न्यायालय के निर्णय सेन्टर बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन एण्ड अदर्स बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय एण्ड अदर्स याचिका संख्या–6454 ऑफ 2011 में दिये गये निर्णय के अनुसार दिये जाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने की है। इस निर्णय के पैरा संख्या–18 में उल्लेख किया गया है कि – "In these cases, the High Court has rightly denied the prayer for re-evaluation of answer-books sought by the candidates in view of the bar contained in the rules and regulations of the examination bodies. It is also not a relief available under the RTI Act. Therefore, the question whether re-evaluation should be permitted or not, does not arise for our

Rajnish Kaur

consideration. What arises for consideration is the question whether the examinee is entitled to inspect his evaluated answer-books or take certified copies thereof. This right is claimed by the students, not with reference to the rules or bye-laws of examining bodies, but under the RTI Act which enables them and entitles them to have access to the answer-books as 'information' and inspect them and take certified copies thereof. Section 22 of RTI Act provides that the provisions of the said Act will have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Therefore, the provisions of the RTI Act will prevail over the provisions of the bye-laws/rules of the examining bodies in regard to examinations. As a result, unless the examining body is able to demonstrate that the answer-books fall under the exempted category of information described in clause (e) of section 8(1) of RTI Act, the examining body will be bound to provide access to an examinee to inspect and take copies of his evaluated answer-books, even if such inspection or taking copies is barred under the rules/bye-laws of the examining body governing the examinations. Therefore, the decision of this Court in *Maharashtra State Board* (supra) and the subsequent decisions following the same, will not affect or interfere with the right of the examinee seeking inspection of answer-books or taking certified copies thereof."

उपरोक्त रूप से उद्धरित उच्चतम न्यायालय का कथन स्पष्ट करता है कि यदि परीक्षा आयोजित करने वाली परीक्षा संस्थाओं के परीक्षा नियमों

Rajnish Kaur

में पुर्नमूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुर्नमूल्यांकन अथवा/तथा परीक्षार्थी की यह आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी कि उसकी उत्तर–पुस्तिका में उत्तर दिये गये प्रश्नों पर अधिक अंक आ सकते थे, क्योंकि राज्य सरकार ने सन् 1987 में पुर्नमूल्यांकन को प्रतिबन्धित किये जाने का शासनादेश जारी किया हुआ है और यह शासनादेश अभी भी प्रभावी है।

(ड़) सूचना अधिकार के अन्तर्गत मूल्यांकित की गयी उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति दिये जाने के उपरान्त, यदि परीक्षार्थी द्वारा उपर वर्णित बिन्दुओं में आच्छादित त्रुटियों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय को सम्बन्धित त्रुटियों को ठीक किये जाने के लिए आवेदन किया जाता है, तभी उसके आवेदन पत्र पर विश्वविद्यालय उपरोक्तानुसार त्रुटियों को ठीक करने के लिए विचार कर सकता है।

6. उत्तर–पुस्तिका के किसी प्रश्न को सम्पूर्ण रूप से सही होने की दशा में यदि परीक्षक के द्वारा उस प्रश्न पर शून्य अंक दिया गया है तो विषय–विशेषज्ञ की राय पर उस प्रश्न का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दशा में आवेदक के द्वारा उत्तर में दिये गये अंकों को कम अथवा ज्यादा को आधार बना कर मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

7. सूचना अधिकार अधिनियम के आलोक में परीनिरीक्षण (स्कूटनी) का परिणाम आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।

8. प्रायः ऐसा देखा गया है कि परीनिरीक्षण (स्कूटनी) का आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त गोपनीय विभाग में विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग द्वारा विलम्ब से प्रेषित किया जाता है जिसके कारण परीनिरीक्षण (स्कूटनी) का परिणाम घोषित होने में विलम्ब होता है। इसलिए परीनिरीक्षण (स्कूटनी) का प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर (कार्यदिवस) को गोपनीय विभाग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित पटल सहायक की जिम्मेदारी होगी।

Rajnish Kaur

9. यदि आवेदक ने परीक्षा उत्तर–पुस्तिका की पुनर्निरीक्षण तथा सूचना अधिकार अधिनियम में भी आवेदन किया है तो ऐसी स्थिति में पहले पुनर्निरीक्षण का परिणाम घोषित किया जायेगा, उसके बाद ही सूचना अधिकार अधिनियम की धारा–7 में निर्धारित समय के भीतर उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

10. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति डाक द्वारा ही भेजी जायेगी। उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति किसी भी दशा में परीक्षार्थी को हाथो–हाथ नहीं दी जायेगी।

11. परीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन करने के बाद अंक चिट तथा मूल्यांकित की गई उत्तर–पुस्तिकाओं को एक साथ अविलम्ब वापस करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी को उत्तर–पुस्तिकायें 30 दिनों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा सकें।

12. परीक्षक का यह दायित्व होगा कि उत्तर–पुस्तिका के पार्सल में रखे गये प–9 में अंकित उत्तर–पुस्तिकाओं की संख्या का मिलान कर लें, यदि कोई अन्तर हो तो उसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को दें, अन्यथा की स्थिति में मूल्यांकित की गयी उत्तर–पुस्तिकाओं तथा प–9 में अंकित की गयी उत्तर–पुस्तिकाओं में अन्तर आता है तो इसका उत्तरदायित्व परीक्षक का होगा।

उप–कुलसचिव (परीक्षा)
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

Rajnish Pande
परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।